मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा प्रस्तावित नवीन योजना "**मुख्यमंत्री सीखो-कमाओं योजना**" को लागू करने की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत, कम से कम एक लाख युवाओं को प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण कराने के उद्देश्य से राशि रूपये एक हजार करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना अंतर्गत 18 से 29 वर्ष के युवा जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है तथा जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा आईटीआई या उच्च है, वे पात्र होंगे। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को **8000 से 10000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेण्ड** प्राप्त होगा; स्टाइपेण्ड का 75% राज्य शासन द्वारा DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

(मनु श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास
एवं रोजगार विभाग